न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 63/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. अशोक कुमार पिता भगवान दास छुगानी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स – महादेव गृह उद्योग, 6 एम 20, तिलक नगर, भवानी नगर के पास, हलेड रोड भीलवाडा स्थायी पता – म.सं. जी – 261/6 ए, वैभव नगर, भोपालपुरा रोड भीलवाडा
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2. श्री मनोहर लालवानी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से (बहस में भाग नही लिया)

आदेश

दिनांक 5-11-2019

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी अशोक कुमार पिता भगवान दास छुगानी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स – महादेव गृह उद्योग, 6 एम 20, तिलक नगर, भवानी नगर के पास, हलेड रोड भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) के 100 – 100 एमएल की 300 बोतलें प्लास्टिक पैक रखी थी। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विकता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के

प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.03.2017 को समय 12:30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु अशोक कुमार पिता भगवान दास छुगानी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स – महादेव गृह उद्योग, 6 एम 20, तिलक नगर, भवानी नगर के पास, हलेड रोड भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता इस समय खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से अशोक कुमार पिता भगवान दास छुगानी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स – महादेव गृह उद्योग, 6 एम 20, तिलक नगर, भवानी नगर के पास, हलेड रोड भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) का विक्रय कर रहा था।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 120/–रू. नगद देकर 100 एमएल Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) की 40 बोतले प्लास्टिक पैक की वास्ते जांच खरीदा तथा रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर एक्स – 299 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./721/ एफएसएसए/2017/788 दिनांक 24.04.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी अशोक कुमार पिता भगवान दास छुगानी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स – महादेव गृह उद्योग, 6 एम 20, तिलक नगर, भवानी नगर के पास, हलेड रोड भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य

अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 22.11.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.12.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित, विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में भाग नहीं लिया।

प्रकरण मे विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) में Added colouring matter – Permitted synthetic food pcolour Sunset yellow FCF and Tartrazine found present. पाया गया जबकि जबकि As per regulation No. 3.1.2 of FSS (Food Products Standards and Food additive) Regulations,2011 अंतर्गत होना चाहिये, जो नही पाया गया। इसी प्रकार लिये गये खाद्य नमूने Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) के लेबल पर Batch No. – Not Labelled, Date of Mfg./Pkg. – Not Labelled, Symbol for Veg./ Non Veg. – Not Labelled, Net wt. – Not Labelled, Nutritional inforamtion – Not Labelled पाया गया जो Contravention of Regulation 2.2.2(2), 2.2.2(3), 2.2.2(4), 2.2.2(5), 2.2.2(6), 2.2.2(7), 2.2.2(8) and 2.2.2(9) of FSS (Packing and Labelling) Regulation 2011 है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./721/एफएसएसए/2017/788 दिनांक 24.04.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया। **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) में <u>Added colouring matter – Permitted synthetic food pcolour Sunset yellow FCF and Tartrazine found present. पाया गया जबकि जबकि As per regulation No. 3.1.2 of FSS</u> (Food Products**

Standards and Food additive) Regulations,2011 अंतर्गत होना चाहिये, जो नही पाया गया। इसी प्रकार लिये गये खाद्य नमूने Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) के लेबल पर Batch No. – Not Labelled, Date of Mfg./Pkg. – Not Labelled, Symbol for Veg./ Non Veg. – Not Labelled, Net wt. – Not Labelled, Nutritional inforamtion – Not Labelled पाया गया जो Contravention of Regulation 2.2.2(2), 2.2.2(3), 2.2.2(4), 2.2.2(5), 2.2.2(6), 2.2.2(7), 2.2.2(8) and 2.2.2(9) of FSS (Packing and Labelling) Regulation 2011 है। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी अशोक कुमार पिता भगवान दास छुगानी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स – महादेव गृह उद्योग, 6 एम 20, तिलक नगर, भवानी नगर के पास, हलेड रोड भीलवाडा सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्डेड Fruit Drink (Mango Juice Chupa Chup Chaska) का विक्रय किया हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 एवं 52 में वर्णित हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 40,000/–रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 11–11–.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री अशोक कुमार पिता भगवान दास छुगानी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स – महादेव गृह उद्योग, 6 एम 20, तिलक नगर, भवानी नगर के पास, हलेड रोड भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा